विकास आयुक्त कार्यालय
छत्तीसगढ़, रायपुर

/ / आदेश / /

रायपुर, दिनाँक 27 / 05 / 2014

क्रमांक 3725 / 2381 / स्था / 22 / वि–3 / ग्रा.यां.सेवा / 2014 :: कलेक्टर, जिला दंतेवाड़ा की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित उम्मीदवारों को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत् ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में **सहायक श्रेणी–3** के पद पर वेतनमान रुपये 5200–20200 ग्रेड वेतन 1900 के न्यूनतम् वेतन पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाकर, उनके नाम के सामने दर्शाये गये कार्यालय में पदस्थ किया जाता है :–

क्र.	अभ्यर्थी का नाम	पिता / पति का नाम	जाति	चयनित श्रेणी	वर्तमान पता	पदस्थापना कार्यालय
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री सत्यनारायण नाग	स्व. श्री रूपधन नाग	अजजा	अजजा (मुक्त)	कार्या. जिला पंचायत दंतेवाड़ा, मनरेगा पो. व तह. दंतेवाड़ा जिला दंतेवाड़ा	कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उपसंभाग, कटेकल्याण जिला दंतेवाड़ा (छ.ग.)
2.	सुश्री महिमा तिग्गा	श्री अलेक्जेण्डर तिग्गा	अजजा	अजजा (महिला)	जिला पंचायत दंतेवाड़ा जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उपसंभाग, कुआकोण्डा, जिला दंतेवाड़ा (छ.ग.)

नियुक्ति की शर्तें निम्नानुसार है :–

1. छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा अस्थाई तथा अर्द्धस्थायी सेवा नियम 1960 के नियम–12 के अनुसार उम्मीदवार की सेवाएं किसी भी समय किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की लिखित सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन व भत्ता देकर समाप्त की जा सकेगी।

2. उम्मीदवार के द्वारा एक माह का नोटिस दिये बिना या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तो पर देय रकम उम्मीदवार से भू–राजस्व के बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।

3. परिवीक्षा अवधि कुशलतापूर्वक पूर्ण करने पर नियमानुसार कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियमित नियुक्ति मानी जावेगी।

E:\List-2012\Word-2012\Order\Estab\New Posting\Dantewada\Asst-3 May 2014.doc

4. परिवीक्षा अवधि में किसी प्रकार का स्थानांतरण आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा। परिवीक्षा अवधि में यदि स्थानांतरण आवेदन प्रस्तुत किया जावेगा तो उम्मीद्वार को उक्त पद के लिए अयोग्य मानते हुए उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।

5. प्रमाणित किया जाता है कि नियुक्ति में शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

6. उम्मीद्वार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र पदभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा।

7. नियुक्ति स्थान पर पदभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार की कोई भत्ता देय नहीं होगा।

8. उम्मीद्वार को इस आदेश की प्राप्ति के दिनांक से 30 दिनों के अंदर अपने नाम के समक्ष दर्शाये गये स्थान में कार्यालयीन समय /दिवस पर संबंधित अधिकारी को उपस्थिति देनी होगी, अन्यथा यह मानकर कि वे इस पद पर नहीं आना चाहते हैं, उनकी नियुक्ति आदेश निरस्त समझा जावेगा।

9. पदस्थापना कार्यालय में उपस्थिति देते समय शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, उच्च स्तरीय छानबीन समिति से सत्यापित जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करेंगे।

10. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–13–4/2006/आ.प्र./1–3, नया रायपुर, दिनाँक 29 जून, 2013 की कंडिका–6(2) अनुसार आरक्षित पद पर नियुक्त अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय संलग्न प्रारूप (एक) में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

11. आरक्षित प्रवर्ग – (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग) के सदस्य होने संबंधी दी गई जानकारी /प्रमाण पत्र यदि गलत पाये गये तो संबंधित अधिकारी द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना दिये सेवा से पृथक कर दिया जावेगा, जिसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा तथा उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत् कार्यवाही भी की जा सकेगी।

12. वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 980/सी–761/वि/नि./चार/4, दिनांक 27.02.2004 के अनुसार नियुक्त अभ्यर्थियों के लिए नयी परिभाषित अंशदान आधारित पेंशन योजना लागू होगा।

13. परिवीक्षा अवधि समाप्त होने पर अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा जिले में कहीं भी उक्त पद एवं वेतनमान पर स्थानांतरण किया जा सकता है, इसके विरूद्ध कोई अभ्यावेदन या याचिका स्वीकार्य नहीं की जावेगी। नियुक्ति के मूल पद पर अभ्यर्थी को अन्य जिले में स्थानांतरण की पात्रता नहीं होगी।

14. पदस्थ किये गये **सहायक वर्ग–3** के कार्यभार ग्रहण करने की जानकारी संबंधित अधिकारी द्वारा इस कार्यालय को तत्काल अवगत् कराया जावे।

15. उक्त नियुक्ति रिट पीटीशन (सी) क्रमांक 591/2012 में माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा पारित अंतिम निर्णय के अध्यधीन होगी।

(विकास आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

28/5/2014

(एम.एल.हल्दकार)
मुख्य अभियंता
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
विकास आयुक्त कार्यालय
छत्तीसगढ़, रायपुर

पृ.क्र.3725/2381/स्था/22/वि–3/ग्रा.यां.सेवा/14 रायपुर, दिनाँक 28/05/2014

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर।
2. संभागीय आयुक्त, बस्तर।
3. अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, बस्तर मण्डल, जगदलपुर।
4. कलेक्टर, जिला दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स **(CHiPS)**, आरडीए बिल्डिंग द्वितीय तल, शास्त्री चौक, जी.ई. रोड रायपुर, छत्तीसगढ़ को उक्त आदेश की प्रति शासकीय पोर्टल में उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
7. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र **(NIC)** रायपुर छत्तीसगढ़ को उक्त आदेश की प्रति एवं संलग्न शपथ पत्र प्रारूप (एक) ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के पोर्टल में उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
8. कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग दंतेवाड़ा, जिला दंतेवाड़ा की ओर उनके पत्र क्रमांक 162/स्था/ग्रा.यां.सेवा/2014, दिनाँक 24.01.2014 के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उपसंभाग, कटेकल्याण/कुआँकोण्डा, जिला दंतेवाड़ा।
10. संबंधित श्री/श्रीमती/कु .... की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

28/5/2014

मुख्य अभियंता
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
विकास आयुक्त कार्यालय
छत्तीसगढ़, रायपुर

E:\List-2012\Word-2012\Order\Estab\New Posting\Dantewada\Astt-3 May 2014.doc